


फर्द अहकाम

काजतिह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य

आयालय कृष्णा कंवर (कास्ट ट्रेड) आमेर

संख्या 29/2022

(ली. भाई.)

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/2/25	<p>पत्रावली पेशा डबे। अधिवक्तालय उक्त पत्र उपस्थित। कहेस गार्थनापा ली. भाई पर सुनो गरी।</p> <p>गार्थनापा ली. भाई के वर्णित लष्पों को देखते हुए अधिवक्ता धार्ये द्वारा कृष्णा कंवर से कृष्ण कृष्णा नामा है कि धार्ये को कर से कहेस गाम मानपुरा मान्येडी तह-भागे जिला जयपुर स्थित भूमि का. क्र. नं. 3427, 3428, 3430, 4013, 4014 कुलपत्रा। कित 3 कुल रकबा 0.4382 हे. के संदर्भ में पत्रावली के अधिलिखित विस्तृत रूप से भूमि के विधि विधान के तहत में मूलकाद प्रस्तुत किया गया है। जितके अन्तर्गत आलेखित भूमि का. क्र. नं. 1/6 दिस्ता दर्ज है। जोष दिस्ता अज्ञात का विधि है उक्त मूलकाद साक्ष्य प्रतीवाडी के स्तर पर लम्बित है। उक्त में पत्रावली के तहत दिष्टे का विवाद गद्य है तथा उक्त विवाद का लो सम्बन्धित है। जितसे मूलकाद के निष्ठापन तक स्थापित व पत्रावली के तहत उक्त कृष्णा के इच्छित भूमि वदमान को संरक्षित रखा जाकर मोका व राजत्व दिवाडी की अधालिखित कादम रखा जाना आवश्यक व प्राथमिक है। जितसे पत्रावली के अन्तर्गत उक्त क्रमिका (ली. पत्रावली न छे वैसे तथा उक्त का सुगता व तदपता के निष्ठापन के तहत। अतः स्थापित के इच्छित गार्थनापा स्वीकार किया जाकर मोका व राजत्व दिवाडी की अधालिखित कादम रखा जाने का आदेश पत्रावली के अधिवक्ता प्रतीवाडी द्वारा उक्त संदर्भ में अज्ञात वक्त को 1/6 है।</p> <p>अतः हमने उक्त पत्रावली अधिवक्ता की अधालिखित लष्पों पर अज्ञात भूमि व</p>	<p>Adhiman अधिवक्ता</p>  <p>P-T.O.</p>

